तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
4-3-16	वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। प्रतिवादी नं० 2 की ओर से दि० 23-2-16 को प्रस्तुत जवाब दावा पत्रावली में शामिल किया गया। वास्ते जवाब दर० पत्रावली दि० 29-4-16 को पेश हो। प्रतिवादी नं० 3, 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हैं। अत: इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली दि० 29-4-16 को पेश हो।	
29-4-16	वकील उभयपक्ष उप० हैं। S.D.O. सा० दौरे पर हैं। पत्रावली दि० 27-5-16 को पेश हो। रीडर	2366-70 / 24-5-16
27-5-16	वकील उभयपक्ष उप० हैं। S.D.O. सा० दौरे पर हैं। पत्रावली दि० 1-6-16 को कैम्प हिंगोट्या पर पेश हो।	
धालीलाल शर्मा	1-6-16 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प हिंगोट्या पर पेश हुई। वादी धीरया उपस्थित है। वादी ने राजीनामा पेश कर दावा वापिस लेने व नवीन दावा पेश करने की अनुमति देने का निवेदन किया है। अत: राजीनामा अनुसार वादी को यह दावा वापिस लेने व नवीन दावा दायर करने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) हिगोंटिया

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

घीस्या पुत्र रामसहाय, ब्राह्मण निवासी सलारपुर तह0 गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामसहाय, ब्राह्मण, निवासी सलापुर तह0 गंगापुर सिटी
2. जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड गंगापुर सिटी जरिए सहायक अभियंता ग्रामीण
3. ग्राम पंचायत हिगोटिया जरिए सरपंच
4. लेंड होल्डर तहसीलदार, गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 123/2015

वादी की ओर से वादी घीस्या की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 01.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत दावे में प्रारूपित त्रुटि होने के कारण वादी ने अपना दावा वापिस लेने हेतु एवं नया दावा प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया है। अतः वादी को वाद वापिस लेने की एव नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 01.06.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	